14.09.2016 को अध्यक्षीय भाषण (के.वि.प्रा. के अध्यक्ष, श्री श्यामधर दुबे जी का संबोधन)

प्रिय साथियों

आज 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता के पश्चात् गठित 'संविधान समिति' के समक्ष हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा रखा गया था। संविधान सभा के अधिकांश अहिंदी भाषी सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया क्योंकि भाषा और राष्ट्रप्रेम का आपस में गहरा संबंध है। संविधान सभा की 12, 13 व 14 सितम्बर 1949 की बहस में 71 सदस्यों ने भाग लिया। अंतत: 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इस विषय पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में कहा- 'मुझे अपनी मातृभाषा पर अभिमान है परंतु समूचे हिंदुस्तान की प्रगति के लिए एक ही राजभाषा होनी चाहिए, वरना हमारी अखिल भारतीयता की बातें खोखली ही रहेंगी'। अत: 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' के रुप में मनाया जाता है।

राजभाषा हिंदी में कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व होने के साथ-साथ संवैधानिक दायित्व भी है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करें।

संघ की 'राजभाषा नीति' प्रेरणा तथा प्रोत्साहन पर आधारित है। हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु हर वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितम्बर से 28 सितम्बर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके दौरान 4 प्रतियोगिताएं- निबंध, टिप्पण-प्रारुपण, श्रुतलेख व सामान्य ज्ञान आयोजित की जाएंगी। वर्ष में कम से कम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने वाले कार्मिकों को नकद पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चारों तिमाहियों में हिंदी प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुभाग/प्रभाग को चल वैजंयती प्रदान की जाएगी।

भारत एक बहुभाषी प्रजातांत्रिक देश है। एक सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि देश में प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य देश की जनता की भाषा में ही हो। हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, अभ्यास और व्यवहार ही इसे आगे बढ़ाने की एक सफल प्रक्रिया है।

हिंदी भाषा के सरलीकरण पर आजकल विशेष बल दिया जा रहा है ताकि इसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके और यह पूरे विश्व की संपर्क भाषा का स्थान ग्रहण करे। भविष्य में भी 'मॉस लैंग्वेज' का महत्व 'क्लास लैंग्वेज' से ज्यादा होगा। अत: भाषा का सरलीकरण नितांत आवश्यक है। आवश्यकतानुसार नए शब्दों का गठन एवं प्रचलन बढ़ रहा है. लंबे वाक्यों का प्रयोग घट रहा है। संयुक्त वाक्यों के स्थान पर छोटे वाक्यों पर बल दिया जा रहा है। जरूरत इस बात कि है की हिन्दी अधिक से अधिक नए व प्रचलित शब्दों के द्वारा अपना शब्द भण्डार बढाए. अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाय कार्यालय में मूल रूप से हिंदी में ही कार्य पूर्ण किए जाएं। रोजमर्रा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर सरल एवं सुबोध हिंदी वाक्य लिखे जा सकते हैं।

कार्यालय के काम-काज में हिंदी के प्रयोग की मुख्य बाधाएं हैं - त्रुटि का भय, हीनता की भावना, इच्छाशक्ति का अभाव, स्वीकार्यता का भय एवं कार्यालय का आम प्रचलित वातावरण। इन बाधाओं को सरल हिंदी के प्रयोग से सहज ही दूर किया जा सकता है और अन्य भाषा-भाषियों को भी विश्वास में लिया जा सकता है. इस कार्य में प्रत्येक स्तर पर मात्र पहल करने की ही आवश्यकता है।

अत: हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब ये संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि परस्पर एक दूसरे को न केवल हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे अपितु एक सकारात्मक वातावरण बनाकर देश को चहुंमुखी प्रगति की राह पर आगे बढ़ने में अपना सहयोग देंगे और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को राजभाषा के माध्यम से उजागर करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे राजभाषा के प्रति संवैधानिक दायित्व के उच्च आदर्श प्रस्तुत करें और मार्ग दर्शक एवं प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाएं.

इस पावन प्रयास के लिए आपकी सफलता की कामना है.

जय हिन्द !